290

398

म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय : श्रीमान् राजस्व मंडल सर्किट कोर्ट रीवा, म०प्र०.

राज० निगरानी क्र०/ /016

20रु. COURT FEE INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES 5रु. 5रु. Rs.5 पांच रुपये

RS472-II/16

रामनारायण मिश्रा तनयश्री सियाशरण मिश्रा निवासी ग्राम ककलपुर, तह० अमरपाटन, जिला सतना, म०प्र०. — आवेदक

भदई धोबी तनय भूरा धोबी निवासी ग्राम ककलपुर, तह० अमरपाटन जिला सतना, म०प्र०. ---- अना०

निगरानी विरुद्ध आदेश रा०नि०वृत्त मौहारी कटरा तह० अमरपाटन जिला सतना, म०प्र० दिनांक 27.05.016 जो प्र०क्र० 18-अ-12/15-16 में पारितकिया जाकर सीमांकन की पुष्टि की गई ।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959

आवेदक श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत 22-X-16

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्नलिखित है :-

०1। यह कि राजस्व निरीक्षक वृत्त मौहारी, कटरा द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

०2। यह कि राजस्व निरीक्षक ने आवेदक कोप्रश्नाधीन सीमांकन दिनांक 13.05.016 को करने की सूचना दी थी लेकिन उक्त दिनांक को कोई भी सीमांकन नहींकियागया और न इसके बाद कोई सूचना आवेदक को दी गई तथा बिना आवेदककी जानकारी मे व बिना उसे सूचना दिये प्रश्नाधीन सीमांकन दिनांक

निरंतर....

4

(290)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग.5472 II / 2016 जिला–सतना

रामनारायण मिश्रा / भदई धोबी

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश त्रिपाठी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, मौहारी कटरा, तहसील अमरपाटन के प्रकरण क्रमांक 18 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 27.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा) सदस्य	